

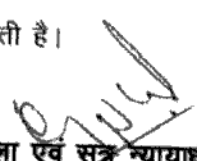
कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच (म.प्र.)

// निविदा आमंत्रण //

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि नवीन जिला न्यायालय नीमच में निर्मित कैंटीन का संचालन किया जाना है।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तों के अधीन जो संस्था या व्यक्ति नवीन जिला न्यायालय भवन नीमच में निर्मित कैंटीन का संचालन करना चाहता है, वे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला नीमच के कार्यालय में निविदा की शर्तों के अनुसार सीलबंद निविदा दिनांक 09/07/2025 के शाम 05.00 बजे तक डाक द्वारा अथवा समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयावधि उपरांत प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

निविदा आमंत्रण संबंधी विज्ञप्ति एवं शर्तें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की आधिकारिक वेबसाइट www.mphc.gov.in/tenders एवं www.neemuch.dcourts.gov.in पर देखी जा सकती है।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नीमच (म.प्र.)

निविदा हेतु शर्तें

नवीन जिला न्यायालय भवन, नीमच में कैंटीन के संचालन के संबंध में निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- 01- निविदाकर्ता द्वारा निविदा आवेदन संलग्न प्रारूप अनुसार प्रस्तुत करेगा और निविदा आवेदन के साथ राशि रुपये 5,000/- की ई0एम0डी राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल के नाम से प्रस्तुत करना होगा।
- 02- निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ कैंटीन संचालन हेतु 50,000/- रुपये (रुपये पचास हजार मात्र/-) की राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा 01 वर्ष की अवधि के लिए जारी F.D.R. प्रधान जिला न्यायाधीश नीमच, के नाम से अमानत के रूप में प्रस्तुत की जाएगी, जिस निविदाकर्ता के पक्ष में निविदा स्वीकार की जाएगी, उस निविदाकर्ता हेतु एफ0डी0आर0 की अमानत राशि एक वर्ष के लिए सुरक्षित जमा रहेगी और उक्त एफ0डी0आर0 पर अर्जित ब्याज निविदाकर्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा। शेष निविदाकर्ताओं, जिनकी निविदायें असफल रही हैं, द्वारा दी गयी एफ0डी0आर0 चयन प्रक्रिया के पश्चात् मूलतः निविदाकर्ता को वापस की जाएगी।
- 03- प्रीमियम राशि (मासिक किराया) की न्यूनतम दर रुपये 9200/- (प्रथम तल पर निर्मित कैंटीन हेतु) व प्रीमियम राशि (मासिक किराया) की न्यूनतम दर रुपये 7890/- (द्वितीय तल पर निर्मित कैंटीन हेतु) निर्धारित है।
- 04- निविदाकर्ता को तीन माह का किराया अग्रिम जमा करना होगा। अग्रिम प्रीमियम राशि जमा करने में असफल होने पर, उक्त स्थिति में अमानत राशि जप्त कर किराया वसूल किया जाएगा तथा अनुबंध तत्काल निरस्त किया जा सकेगा।
- 05- यदि निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया जाता है या किन्हीं अन्य कारणों से अनुबंध, अवधि के पूर्व ही निरस्त की जाती है तो किसी भी परिस्थिति में निविदाकर्ता द्वारा जमा कराई गई राशि वापस प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहेगा और एफ0डी0आर0 की राशि जप्त/राजसात की जाकर शासन के हित में जमा की जावेगी।
- 06- निविदाकर्ता जिसके पक्ष में निविदा स्वीकार की जाती है, कैंटीन का संचालन अनुबंध निष्पादन तिथि से 01 वर्ष के लिए करेगा। यदि आगामी वर्ष के लिए निविदाकर्ता पुनः कैंटीन का संचालन चाहता है, उस स्थिति में उसके द्वारा 01 माह पूर्व प्रधान जिला न्यायाधीश को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमति दिए जाने पर पूर्व की निर्धारित मासिक किराया राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए मासिक किराया समान शर्तों के अधिन पुनः 01 वर्ष के लिए कैंटीन संचालन निविदाकर्ता द्वारा किया जा सकेगा। निविदाकर्ता के पक्ष में 01 वर्ष की अनुमति दिए जाने की स्थिति में उसके द्वारा पुनः 50,000/- रुपये की एफ0डी0आर0 अमानत स्वरूप दी जावेगी।
- 07- प्रधान जिला न्यायाधीश के अनुमोदन से कैंटीन के सुचारु रूप से संचालित किए जाने एवं व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि आदि के प्रयोजन से उचित निर्देश आवश्यकतानुसार कैंटीन संचालक को दिया जाएगा, जिसका पालन करने हेतु संचालक उत्तरदायी होगा।
- 08- निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस को प्रातः 08.00 बजे से सायं 06.30 बजे तक की अवधि में किया जाएगा। समय समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार यथा लोक अदालत आदि विशेष अवसरों पर कैंटीन का संचालन निर्देशानुसार किया जाएगा।
- 09- कैंटीन संचालन में नियोजित कर्मचारियों को निर्धारित यूनिफार्म में उपस्थित रहना होगा, यूनिफार्म का अनुमोदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से कराया जायेगा।
- 10- कैंटीन संचालन के लिए किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारियों को तथा बाल

- श्रमिकों को नियोजित नहीं करेगा तथा नियोजित कर्मचारियों की सूची रजिस्ट्रार जिला न्यायालय से अनुमोदित कराई जाय।
- 11- निविदाकर्ता कैंटीन में मानक के अनुसार खाद्य सामग्री विक्रय करेगा और खाद्य सामग्री की दरें बाजार मूल्य से अधिक नहीं होंगी तथा खाद्य सामग्री की दरें, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अनुमोदित कराई जाएंगी और उक्त अनुमोदित दर पर ही खाद्य सामग्री का विक्रय किया जाएगा।
 - 12- खाद्य सामग्री की अनुमोदित दरों को कैंटीन परिसर के सहज दृश्य भाग पर निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन संचालन के समय प्रदर्शित किया जाएगा।
 - 13- निविदाकर्ता द्वारा निविदा स्वीकार किए जाने पर प्रतिष्ठान का पंजीयन नगर पालिका, नीमच एवं संस्थापना अधिनियम के अंतर्गत कराया जाना आवश्यक होगा और कैंटीन का संचालन विहित नियमों का पालन करते हुए, श्रम विधि आदि का उल्लंघन न करते हुए **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006** के समस्त प्रावधानों का पालन करेगा।
 - 14- निविदाकर्ता द्वारा संचालन के समय समस्त सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रतिष्ठान का संचालन किया जाएगा और जिसका सम्पूर्ण दायित्व संचालनकर्ता पर होगा।
 - 15- कैंटीन के संचालन से संबंधित किसी भी विवाद या उत्तरदायित्व के लिये (आपराधिक उत्तरदायित्व सहित) प्रथम पक्ष का ही उत्तरदायित्व होगा द्वितीय पक्ष का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
 - 16- व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि शासकीय संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।
 - 17- प्रधान जिला न्यायाधीश, नीमच का एकमात्र विवेकाधिकार आवंटन के संबंध में अंतिम होगा।
 - 18- व्यवसायिक प्रतिष्ठान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण/संरचना तथा ऐसा अस्थाई निर्माण नहीं करेंगे। निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन परिसर का स्वयं के व्यय पर आवश्यकतानुसार रंग रोगन, मरम्मत आदि कार्य पूर्व अनुमति उपरांत कर सकेगा।
 - 18- व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, प्रधान जिला न्यायाधीश को प्रथमतः प्रस्तावित निर्माण की स्थिति से अवगत कराते हुए अनुमोदन उपरांत ही किया जा सकेगा।
 - 19- व्यवसायिक प्रतिष्ठान हेतु आवंटित स्थान को साफ-सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे तथा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या ऑडियो सिस्टम उपयोग नहीं करेंगे। कैंटीन तथा आसपास के परिसर को स्वच्छ रखने में निविदाकर्ता के असफल रहने पर कैंटीन संचालनकर्ता शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
 - 20- आवंटित व्यवसायिक प्रतिष्ठान को किसी अन्य को आवंटित नहीं कर सकेंगे।
 - 21- कैंटीन संचालक को स्वयं के व्यय पर विद्युत मीटर कनेक्शन (सब-मीटर) प्राप्त करना होगा।
 - 22- आवंटि का व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालन हेतु आवंटन किसी भी समय बिना कारण बताए एक माह का नोटिस देकर निरस्त करने पर आवंटि को एक माह की अवधि में व्यवसायिक प्रतिष्ठान हटाना होगा अन्यथा उक्त स्थान को रिक्त करा लेने का प्रधान

जिला न्यायाधीश, नीमच को अधिकार होगा।

23. प्रतिष्ठान पर पान, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, पान मसाला और इस प्रकार की सामग्री का विक्रय नहीं करेंगे।
24. निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र "यदि उसने पूर्व में कैंटीन का कार्य किया हो" अथवा इस तरह का कोई अन्य कार्य किया गया हो, उक्त अनुभव आदि को समिति द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुए उसे प्राथमिकता दी जा सकेगी।
25. निविदाकर्ता न्यायालय परिसर में स्थित कैंटीन स्थान का निरीक्षण कर सकेगा।
26. विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त सदस्यों, अनुमवी/बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
27. कैंटीन संचालनकर्ता द्वारा बंद निविदा के साथ पहचान पत्र जैसे आधारकार्ड, पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से एक दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। बंद लिफाफे पर प्रस्तुत की जाने वाली निविदा के संबंध में उल्लेखित किया जाना अनिवार्य होगा।
28. कैंटीन संचालनकर्ता कैंटीन के संचालन के दौरान निकले हुए अपशिष्ट खाद्य सामग्री आदि का निराकरण उचित तरीके से करेगा।
29. भविष्य में आवश्यकता होने पर उपरोक्त शर्तों में परिवर्तन किया जा सकेगा जिसका क्षेत्राधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच के पास रहेगा।
29. निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदायें 09/07/2025 को सायं 05.00 बजे तक स्वीकार की जाएंगी, इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं को विचार में नहीं ली जाएंगी तथा निविदा के बंद लिफाफे पर जिस हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है उसका उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
30. प्राप्त समस्त निविदायें दिनांक 12/07/2025 को सायं 05.00 बजे अधिकृत कमेटी के समक्ष खोली जाएंगी, जिसमें निविदाकर्ता भी उपस्थित रह सकते हैं।
31. अनुबंध पत्र रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, नीमच के साथ निष्पादित किया जावेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नीमच (म.प्र.)

/// निविदा आवेदन ///

प्रति,

श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला नीमच म0प्र0

विषय :- नवीन जिला न्यायालय, नीमच में कैंटीन संचालन के संबंध में।

मैं जिला न्यायालय
भवन नीमच में कैंटीन संचालन हेतु निम्नानुसार निविदा प्रस्तुत करता हूँ :-

व्यक्तिगत विवरण	
01	निविदाकर्ता व्यक्ति/संस्था का नाम व पता
02	दूरभाष क्रमांक
03	पैन (PAN)
04	पहचान संबंधी दस्तावेज
निविदा की शर्त अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया गया एफ0डी0आर0 एवं ई0एम0डी0 राशि का विवरण	
05	1.एफ0डी0आर0 क्रमांक दिनांक सहित
	2.एफ0डी0आर0 राशि
	3.जारीकर्ता बैंक का नाम
6	ई0एम0डी0 राशि
अनुभव (यदि कोई है तो) का विवरण	
7	संस्थान का नाम जिसमें कार्य किया गया है-
8	अवधि
9	अन्य विवरण यदि आवश्यक हो, पृथक से संलग्न करें

मेरे/हमारे द्वारा निविदा की समस्त शर्तों को भलि-भांति पढ़ समझ लिया गया है, जिनसे पूर्णतः सहमत हूँ। मेरे द्वारा निविदा की समस्त संलग्न शर्तों का पूर्णतः पालन किया जावेगा। निविदा आवेदन के साथ उक्तानुसार दस्तावेज संलग्न किये जा रहे हैं।

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम.....

पता.....

मोबाईल नंबर.....